## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| | | **क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक** |
| **2002** | | |
| अप्रैल | 11 | • बैंकों को अच्छी वित्तीय स्थितिवाले चुनिंदा ग्राहकों को स्मार्ट कार्ड (ऑन लाइन तथा ऑफलाइन दोनों) जारी करने की अनुमति दी गई, भले ही बैंक में उनका ख़ाता छह माह से कम रहा हो, बशर्ते वे "अपने ग्राहक को जानिए" अवधारणा को लागू करना सुनिश्चित करें। |
| | 18 | • रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि अनारक्षित अग्रिमों तथा गारंटियों के संबंधित मानदण्डों को लागू करने के लिए अनारक्षित अग्रिम तथा गारंटियों की मात्रा की गणना करते समय बकाया क्रेडिट कार्ड की राशि को कुल अनारक्षित अग्रिमों में शामिल न किया जाए |
| | 26 | • रिज़र्व बैंक ने आइसीआइसीआइ लि. और आइसीआइसीआइ बैंक लि. के विलयन को कतिपय शर्तों के अधीन मंजूरी दी। |
| | 29 | • यह सूचित किया गया कि 30 जून 2002 से बेंक तथा वित्तीय संस्था केवल डिमैट (अभौतिक) रूपमें जमा प्रमाणपत्र जारी करें तथा वर्तमान बाकी जमा प्रमाणपत्र 31 अक्तूबर 2002 तक डिमैट रूप में परिवर्तित किए जाए।<br>• अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाता योजना और अनिवासी (विशेष) रुपया खाता योजना को 1 अप्रैल 2002 से बंद कर दिया गया। |
| मई | 3 | • बैंकों को निदेश दिया गया कि वे "व्यापार के लिए धारित" तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' जैसे दो वर्गों के संदर्भ में निवेश घटबढ़ प्रारक्षित राशि भंडार (आइएफआर) का अभिकलन करें तथा इस प्रयोजन के लिए "परिपक्वता के लिए धारित" के अंतर्गत किये गये निवेश को शामिल न करें। |
| | 7 | • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह निदेश दिया है कि वे 1 जून 2002 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास मांग और निवल मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 5 प्रतिशत नकदी प्रारक्षित अनुपात के रूप में बनाए रखें (शून्य नकदी प्रारक्षित अनुपात निर्धारण के अधीन देयताओं को छोड़कर)। |
| | 9 | • बैंकों को निदेश दिया गया कि किसी आस्ति के 12 महीने तक अवमानक वर्ग में रहने पर उसे संदिग्ध घोषित किया जाएगा। बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे अवमानक से संदिग्ध आस्ति से संक्रमण अवधि 18 महिने से कम करके 12 महीने करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रावधान करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से 31 मार्च 2005 से शुरू कर चार वर्ष में पूरा कर लें, जिसमें प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत का प्रावधान किया जाए। |
| | 24 | • बैंकों को यह सूचित किया गया था कि निवासीय संपत्ति के बंधक से सुरक्षित किये गये ऋण तथा अग्रिमों की पूँजी-पर्याप्तता के उद्देश्य हेतु जोखिम भार वर्तमान के सौ प्रतिशत के बजाए 50 प्रतिशत निर्धारित करें। वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रीयल एस्टेट) के बंधक पर जोखिम भार अब तक की तरह 100 प्रतिशत रहेगा। आवास वित्त कंपनियों, जिनका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक (एचएफसी) करता है कि निवासीय आस्तियों की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य हेतु 50 प्रतिशत के जोखिम भार के लिए पात्र होंगे। |
| | 28 | • यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं से संबंधित ऋण आस्तियों को उचित रूप से वर्गीकृत कर दिया गया है और आस्ति गुणवत्ता ठीक से प्रतिबिंबित होती है क्रियान्वित की जा रही ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में जिनमें निर्धारित से अधिक समय लगा है, उनके लिए आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी मानदंड, जो पहले केवल वित्तीय संस्थानों पर लागू होते थे, अब बैंकों पर भी लागू किये गये हैं। |
| | 29 | • बैंकों के परिचालन के स्वरूप और विनियामक आवश्यकताओं में एकरूपता को सुनिश्चित करने की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित लेखाकरण मानकों के अनुपालन को बैंकों के लिए केवल 31 मार्च 2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऐच्छिक बनाया जाए, घटक रिपोर्टिंग पर एएस.17, संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण पर एएस 18, समेकित वित्तीय विवरणों पर एएस 21 और आय पर करों पर एएस 22। बैंकों को उक्त लेखाकरण मानकों की पुष्टि 31 मार्च 2003 तक करनी होगी। इस मामले पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर जल्दी ही विस्तृत मार्गदर्शी दिशा निदेश जारी किये जायंगे। |
| | 30 | • इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में गठित कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर इरादतन ऋण न चुकानेवाले शब्द को पुनः परिभाषित किया गया और उसकी व्याप्ति बढ़ायी गयी थी ताकि उसमें निधियों के विपणन (सिफोनिंग) / विचलन को भी शामिल किया जाएं। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे यथा सूचित इरादतन चूककर्ताओं पर दण्डात्मक उपाय लगाना शुरू करें। |

*(जारी)*

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2002** | | |
| जून | 4 | • बैंकों, अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं और राज्य वित्त निगमों को यह सूचित किया गया था कि 31 मार्च, 2002 को रु.1 करोड़ और उससे अधिक के वाद दायर किये गये खातों की सूची और उसके बाद दिसम्बर 2002 तक उसकी त्रैमासिक अद्यतन सूचना प्रस्तुत करें तथा मार्च, जून, सितं. तथा दिस.2002 के अंत तक रु.25 लाख और उससे अधिक के इरादतन चूककर्त्ताओं के बाद दायरा खातों की सूची 31 मार्च 2002 तक एक वर्ष अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को तथा साथ ही ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआइबीआइएल) को और उसके बाद केवल सीआइबीआइएल को प्रस्तुत करें।<br>• कम्पनी संचालन पर सेबी की समिति के मार्गदर्शी दिशा-निर्देश की व्याप्ति बढ़ाने की प्रक्रिया में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिया गया कि वे शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए सूचीबद्ध कंपनियों की तर्ज पर समिति गठित करें तथा सूचीबद्ध बैंक अपने शेयरधारकों को छमाही आधार पर अपरीक्षित वित्तीय परिणाम उपलब्ध कराएं। |
| | 15 | • निवेशक आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से एकल निवेशक के लिए न्यूनतम मात्रा 5 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से घटाकर एक लाख रुपये और उसके बाद 1 लाख रुपये के गुणजों में की गई। यह राशि निर्गत जमा-पत्रों के अंकित मूल्य (अर्थात परिपक्वता मूल्य) से संबंधित है। |
| | 20 | • बनारस स्टेट बैंक लि. का 20 जून 2002 से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया।<br>• बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल की भूमिका की जाँच करने तथा जोखिमों और अति-निवेश को कम करने की दृष्टि से मंडल की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक, के विचारार्थ, सिफारिश देने के लिए गठित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के परामर्शी समूह (अध्यक्षः डा.ए.एस. गांगुली) ने अपनी सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कीं। इसकी अनुपालन योग्य सिफारिशें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यान्वयन के लिए सूचित कर दी गई तथा कुछ सिफारिशें, जिन पर केंद्र सरकार का अनुमोदन अथवा विधायी संशोधन आवश्यक था, विचारार्थ भारत सरकार को भेज दी गयी हैं। |
| जुलाई | 26 | • अग्रिमों पर मासिक आधार पर ब्याज लगाने की प्रणाली के बारे में पूर्ववर्त्ती अनुदेशों के अधिक्रमण में बैंकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज 1 अप्रैल 2002 से या 1 जुलाई 2002 से या 1 अप्रैल 2003 से लगाएं, तथापि मासिक अन्तरालों पर ब्याज लगाने के अनुदेश कृषि संबंधी अग्रिमों पर लागू नहीं होंगें। |
| अगस्त | 6 | • विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, लाभार्जक बैंकों को उनके पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के कुल एक प्रतिशत तक दान देने की अनुमति थी। समीक्षा के बाद, प्रधान मंत्री राहत कोष में बैंकों द्वारा दिये गये दान को उक्त उच्चतम सीमा में छूट दी गयी है। |
| | 16 | • 'अपने ग्राहक को जानिएं' अवधारणा के एक अंग के रूप में जमाकर्ताओं को पहचानने और वित्तीय धोखाघड़ियों को नियंत्रित करने-काले धन के वैधीकरण की पहचान करने और अधिक मूल्य नकदी लेनदेनों की निगरानी करना सुगम बनाने के लिए बैंकों को समेकित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये। |
| अक्तूबर | 9 | • बैंकों को ऋण जोखिम और बाजार संबंधी संशोधित मार्गदर्शी टिप्पणियों का उपयोग करने की सलाह दी गयी। उनकी जोखिम प्रबंध प्रणालियों को अद्यतन बनाने के लिए ये टिप्पणियां आरबीआई वेबसाइट पर भी डाली गयीं। |
| नवंबर | 6 | • सामूहिक गारंटी पर स्वयं सहायता समूहों को बेंकों द्वारा दिये गये गैर-जमानती अग्रिमों को अगली सूचना तक गैर-जमानती गारंटियों और अग्रिमों संबंधी विवेकसम्मत मानदंडों को तैयार करने के प्रयोजन से बाहर रखा गया था। यह निर्णय लिया गया था कि कुल गैर-जमानती अग्रिमों और स्व-सहायता समूहों को दिये गये अग्रिमों की वसूली के परिप्रेक्ष्य में मामले की समीक्षा एक वर्ष बाद की जाएगी। |
| दिसंबर | 9 | • अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के संबंध में क्रेडिट कार्ड प्रभारों की अदायगी कार्ड धारकों के अनिवासी (सामान्य) रुपया खातों से करने की अनुमति दी गयी। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी थी कि वे भारत में स्थित बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों के उस कार्ड की ऋण सीमा तक के उपयोग की अदायगी उनके अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति ग्राहकों के अनिवासी भारतीय (सामान्य) रुपया खातों में नामे करके कर सकते हैं। यह नामे निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के उपयोग की शर्तों के अधीन होंगे। |
| | 13 | • भारत में स्थित विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा प्रदत्त गैर-जमानती अग्रिम को जो उसकी विदेशी शाखा द्वारा समर्थित हैं, को गैर-जमानती गारंटियों और अग्रिमों की गणना करने के प्रयोजन से हिसाब में नहीं लिया जायेगा। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2002** | | |
| दिसंबर | 14 | • राज्य सरकार के तत्संबंधित सरकारी विभागों द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि संबंधित सरकारी विभाग या निकाय को बचत खाता खोलने की अनुमति दी गयी है, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जारी किये गये अनुदान (ग्राण्ट) / सब्सिडियों के संबंध में बैंकों को राज्य सरकार के विभागों / निकायों / एजेंसियों के नाम पर बचत बैंक खोलने की अनुमति दी गयी। |
| **2003** | | |
| जनवरी | 16 | • यह निर्णय लिया गया कि जिस तरह से शेयरों में लेनदेन होता है उसी तरह से शेयर बाजार की राष्ट्रव्यापी बेनामी, आदेश संचालित, स्क्रीन आधारित विपणन प्रणाली के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के विपणन की शुरूआत की जाएं। बैंकों के लिए शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का विपणन करने की यह सुविधा रिज़र्व बैंक की प्रचलित वार्तातय लेनेदेन प्रणाली (एनडीएस) के अतिरिक्त होगी, और एनडीएस प्रणाली आगे भी जारी रहेगी। तदनुसार, 16 जनवरी 2003 से राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) शेयर बाजार, मुंबई (बीएसई) और ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओटीसीईआइ) की स्वचालित आदेश - संचालित प्रणाली में डीमैट रूप में भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का विपणन करने की अनुमति दी गयी। यह निर्णय लिया गया कि यह योजना बाद में भारत सरकार के खजाना बिलों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए भी लागू की जायेगी। |
| | 24 | • वास्तविक वाणिज्यिक / व्यापार बिलों की खरीद / भुनाई / बेचान / पुनर्भुनाई करते समय बैंकों को उधारकर्ता की कार्यशील पूंजी सीमाओं का मूल्यांकन करने / मंजूरी देने के लिए अपने स्वयं के दिशा-निर्देश निश्चित करने की स्वतंत्रता दी गयी और वे उनकी ऋण आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन करने के बाद और अपने निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजी सीमा और बिल सीमा भी मंजूर कर सकते हैं। बैंकों द्वारा जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनके संबंध में दिशा-निर्देश भी बनाये गये। |
| | 29 | • यह निर्णय लिया गया कि उधारकर्ताओं को अपनी बकाया देयताओं का निपटान करने के लिए आगे आने हेतु और एक अवसर दिया जाए। तदनुसार, निर्धारित मूल्य सीमा के नीचे की दीर्घकालिक गैर-निष्पादक आस्तियों के समझौता निपटान के लिए सरलीकृत, गैर-विवेकाधीन और गैर-विभेदकारी प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये गये। निर्धारित समय में गैर-निष्पादक आस्तियों के स्टाक से अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को एक समान रूप से दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करने का निदेश दिया गया। संशोधित दिशा-निर्देशों में लघु क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों की गैर-निष्पादक आस्तियां (निर्धारित उच्चतम सीमा से कम) शामिल होंगी। तथापि इन दिशा-निर्देशों में जान-बूझकर चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले शामिल नहीं होंगे। |
| फरवरी | 04 | • बुनियादी संरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये जिनमें बुनियादी संरचना के लिए उधार देने वित्तपोषण के लिए विशेष मानदंड, बैंकों द्वारा किये जानेवाले वित्तपोषण के प्रकार, परियोजना मूल्यांकन और प्रशासनिक प्रबंध की पद्धति निर्धारित की गयी है। इनमें विवेकपूर्ण ऋण निवेश जोखिम सीमा, पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्यों और आस्ति देयता प्रबंध के लिए जोखिम भार भी दिया गया है। |
| | 05 | • केन्द्रीय बजट 2002-03 में की गयी घोषणा के अनुसार कम्पनी ऋण पुनर्गठन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कंपनी ऋण पुनर्गठन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये। संशोधित दिशा-निर्देश की एक मुख्य विशेषता है कंपनी ऋण पुनर्गठन प्रणाली के अंतर्गत ऋण पुनर्गठन की दो श्रेणियों की व्यवस्था। उधारदाता की बहियों में जिन खातों को 'मानक और 'अव-मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है उन्हें पहली श्रेणी (श्रेणी 1) के अंतर्गत फिरसे पुनर्गठित किया जायेगा। उधारदाता की बहियों में जिन खातों को 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है उन्हें दूसरी श्रेणी (श्रेणी 2) के अंतर्गत फिरसे पुनर्गठित किया जायेगा। |
| | 19 | • देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम के प्रबंध और उसके लिए प्रावधान करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये। ये दिशा-निर्देश केवल ऐसे देशों के बारे में लागू हैं, जहां बैंकों की जोखिम सीमा अपनी आस्तियों के दो प्रतिशत या उससे अधिक है। इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में बैंकों के अनुभव को ध्यान में लेते हुए एक वर्ष के बाद उनकी समीक्षा की जायेगी। |
| | 25 | • समेकित पर्यवेक्षण में सुविधा होने की दृष्टि से समेकित लेखा और अन्य मात्रात्मक पद्धतियों के लिए दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया। ये दिशा-निर्देश कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री विपिन मलिक) की सिफारिशों पर आधारित है और उनमें जहां आवश्यक है वहां उचित परिवर्तन किये गये हैं। |
| | 26 | • बैंकों को अंतर-शाखा खाते में निवल नामे शेष के आधार पर प्रावधान करने के लिए अनुमत समय 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष से एक वर्ष से घटाकर छह महीने किया गया। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2003** | | |
| फरवरी | 27 | • यह निर्णय किया गया कि बैंक निर्माणाधीन परियोजनाओं की तीन श्रेणियों के बारे में जिन्हें मई 2002 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं पर वास्तविक रूप से अर्जित होने पर आय मान सकते हैं। |
| | 28 | • देशी और सामान्य अ-निवासी बचत जमाराशियाँ और साथ में एनआर (इ) खाता योजना के तहत बचत जमाराशियाँ 1 मार्च 2003 से प्रभावी प्रति वर्ष 3.5 प्रतिशत संशोधित हुई। |
| मार्च | 19 | • पूंजीगत लाभ खाता योजना - 1988 की श्रेणी 'अ' के खाते पर 1 मार्च 2003 से संशोधित ब्याज दर 3.5 प्रतिशत वार्षिक है। |
| | | • पात्र बैंकों को एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के बजाय अलग-अलग क्षेत्र में एक से अधिक समुद्रपारीय कारोबारी इकाई (ओबीयू) स्थापित करने के लिए अनुमति दी गयी और अपनी अधिशेष निधि को संबंधित बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित निवेश नीति के अंतर्गत भारत से बाहर निवेशित करने और रिज़र्व बैंक द्वारा "अपने ग्राहक को जानिए" के बारे में जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन जमाराशि स्वीकार करने के लिए भी अनुमति दी गयी। |
| | 21 | • बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम में भाग लेनेवाले ऋणकर्ताओं को वित्त प्रदान करने के संबंध में निर्णय लेते समय ऐसे ऋणकर्ताओं को एक ऐसा करार निष्पादित करने के लिए कहें जिसके द्वारा वे अवरुद्धता अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किये गये शेयरों के निपटान करने के लिए सरकार द्वारा अपने अधिकारों को छोड़ने संबंधी एक पत्र प्रस्तुत करने का वचन दिया गया हो या सरकार के प्रलेखों में एक ऐसा विशेष प्रावधान शामिल करने के लिए सूचित किया गया हो जिसके द्वारा मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं में कमी आने पर या ऋणकर्ता द्वारा चूक किये जाने पर अवरुद्धता अवधि के दौरान शेयरों को बेचने की बंधकग्राही को अनुमति दी गयी हो। सफल बोलीकर्ताओं द्वारा विनिवेशित कंपनी के प्राप्त किये गये प्राप्त किये जानेवाले शेयरों पर अवरुद्धता अवधि उनकी बिक्रेयता को प्रभावित करनेवाले अन्य ऐसे प्रतिबंधों की शर्त के अधीन होने पर भी सफल बोलीकर्ताओं को कतिपय शर्तें पूरी करने की शर्त पर वित्त प्रदान करने की अनुमति बैंकों को दी गयी। |
| अप्रैल | 08 | • विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यमों / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को ऋण / ऋणेतर सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में बैंकों के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा भार-रहित टीयर I पूंजी के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर बैंकों की भार-रहित पूंजी निधि (टीयर I और टीयर II पूंजी) की 10 प्रतिशत कर दी गयी। |
| | 23 | • वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के संबंध में अंतिम मार्गदर्शी दिशा-निर्देश जारी किये गये। मार्गदर्शी दिशा-निदेश में पंजीकरण से संबंधित आस्ति पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिकरण, स्वाधिकृत निधि अनुमत कारोबार, प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण के कारोबार को अमल में लाने के लिए परिचालनगत ढांचा, अधिशेष निधियों के विनियोजन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, विवेकपूर्ण मानदंड, प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्यवस्था है ताकि प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्गठन कंपनियों के सुचारु निर्माण एवं उनकी कार्यप्रणाली में सुविधा हो। इन अधिदेशात्मक मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं निदेशों के अलावा रिज़र्व बैंक ने अनुशंसात्मक स्वरूप की मार्गदर्शी टिप्पणियां भी जारी की जिनमें आस्तियों के अभिग्रहण, प्रतिभूति रसीदें जारी करने आदि से संबंधित पहलू शामिल हैं। प्रबंध-तंत्र के अधिग्रहण, ऋणकर्ता के पूरे कारोबार या कारोबार के अंश की बिक्री या पट्टे पर देने के संबंध में मानक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक सेट बनाया जा रहा है। |
| | 24 | • यह निर्णय लिया गया कि जम्मू और कश्मीर राज्य के ऋणकर्ताओं / ग्राहकों को दी जानेवाली रियायतें / ऋण राहत और एक वर्ष की अवधि अर्थात 31 मार्च 2004 तक लागू रहेंगी। |
| | 29 | • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर समस्त अनुसूचिता वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि वे 14 जून 2003 से प्रारम्भ पखवाड़े से प्रभावी भारिबैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत निवल माँग व सावधि देयताएँ (शून्य सीआरआर प्रेसक्रिप्शनों के अधीन देयताएँ छोड़कर) 4.5 प्रतिशत का नकदी प्रारक्षित अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक में रखें।<br>• बैंकों को सूचित किया गया कि नई एनआरइ जमाराशियों की परिपक्वता अवधि, तत्काल प्रभावी 1 से 3 वर्ष रहेगी, आगे, उपरोक्त अनुदेश नवीकृत एनआर (इ) जमाराशियाँ उनकी वर्तमान परिपक्वता के पश्चात लागू हों।. |
| मई | 05 | • बैंकों / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे ऋण के लिए आवेदन-पत्रों और उन्हें संसाधित करने, ऋण आकलन और उनकी शर्तों तथा शर्तों में परिवर्तन सहित ऋणों के संवितरण और वितरणों परांत पर्यवेक्षण के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनायें तथा उचित संव्यवहार संहिता बनाये जो कि उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित हों। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2003** | | |
| मई | 07 | • निवेश-विचलन संबंधी प्रारक्षित निधि के गठन में और राहत प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2003 से जहां निवेश विचलन प्रारक्षित निधि को टीयर II पूंजी के रूप में माना जाता रहेगा, वहीं उस पर कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा की शर्त नहीं होगी। तथापित, पूंजी-पर्याप्तता संबंधी मानदंडों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए निवेश विचलन प्रारक्षित निधि सहित, टीयर II पूंजी को कुल टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत की अधिकतम मात्रा तक माना जायेगा। |
| | 23 | • एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना के अंतर्गत आवेदनपत्र प्राप्त करने की अवधि को 30 अप्रैल 2003 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2003 तक कर दिया गया और आवेदनपत्रों को संसाधित करने की तारीख 31 अक्तूबर 2003 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2003 कर दी गयी। |
| जून | 26 | • जहां तक चेकों के अनादरण का प्रश्न है, यह सुझाव दिया गया कि निधियों के अभाव में चेक न भुनाये जाने के संबंध में उपलब्ध वर्तमान अुनदेशों के अलावा बैंक अतिरिक्त अनुदेशों यथा स्वीकृत न किये गये चेकों के लौटाने / भेजने, स्वीकार न कि गये चेकों से संबंधित जानकारी और बारंबार चेक लौट जाने संबंधी घटनाओं से निपटाने से संबंधी क्रियाविधि का पालन करें। बैंकों को यह भी सूचना है कि उनको सम्बोधित बोर्ड के अनुमोदन से अस्वीकृत चेकों से निपटान के लिए सही प्रक्रिया अपनाने और स्टाफ अथवा कोई अन्य व्यक्ति इसमें शामिल होने को रोकने का उपाय ढूँढ़े तथा चेक आहरणकर्ताकों विलम्ब अथवा आदाता को चेक अस्वीकार होने के तथ्य की सूचना रोकना उन्हें अस्वीकृत चेक लौटाना है। |
| जुलाई | 17 | • बैंकों को एकबारगी उपाय के रूप में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को 'पूंजी प्रारक्षित खाता' में आबंटन की अपेक्षा से छूट दी गयी। यह छूट भारत सरकार के ऋण पुनर्खरीद कार्यक्रम योजना के अंतर्गत भारत सरकार को बेची गयी चुनिंदा प्रतिभूतियां के संबंध में ही लागू हैं।<br>• अनिवासी भारतीयों को प्रदत्त ब्याज दरों में संगति लाने के लिए एक से तीन वर्ष की नयी प्रत्यावर्तनीय अनिवासी बाह्य (एनआरइ) जमाराशियों पर ब्याज दरें कम कर दी गयीं। ऐसी ब्याज दरें, अगली सूचना तक, 17 जुलाई 2003 से संगत मीयाद की अमरीकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से 250 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| | 29 | • जानबूझकर चूक की पहचान करने और ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग के उपाय करने के लिए बैंकों को संशोधित दिशानिदेश जारी किए गए। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया कि वे उन उधारकर्ताओं की शिकायत सुनने के लिए शिकायत निवारण तंत्र का गठन करें जो यह मानते हैं कि उन्हें गलत तरीके से जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। |
| अगस्त | 1 | • बैंकों द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के परामर्शी समूह की सिफारिशों को लागू करने में प्रगति की त्वरित पुनरीक्षणदर्शता है कि मिला-जुला प्रतिसाद मिला जिसमें कुछ बैंकों ने पूर्णत: उन्हें स्वीकारा और अन्यों को अनुपालन की प्रक्रिया से अभी गुजरना है। |
| | 18 | • ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी केंद्रों की बैंक शाखाओं के अधिग्रहण की प्रक्रिया में बैंकों द्वारा अपनाए जानेवाले व्यापक परिचालनात्मक दिशा-निदेश जारी किए गए। |
| | 21 | • नकदी प्रारक्षित अनुपात/ सांविधिक चलनिधि अनुपात को बनाए रखने के प्रयोजन से निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) की गणना करने के संदर्भ में बैंकों को निदेश दिया गया कि वे प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तरीके से देयता की गणना करें :<br>(क) प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत स्वीकारकर्ता बैंक द्वारा अपने प्रतिनिधि बैंक पर जारी ड्राफ्ट के संबंध में शेष राशि तथा बे. अदायगी रहनेवाली राशि स्वीकारकर्ता बैंक की बही में बाहरी देयता के रूप में दर्शायी जानी चाहिए तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात/एसएलआर के प्रयोजन से एनडीटीएल की गणना के लिए इसके हिसाब में लिया जाना चाहिए।<br>(ख) प्रतिनिधि बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि उनके द्वारा 'बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं' के रूप में दिखायी जानी चाहिए तथा 'अन्यों के प्रति देयताओं के रूप में नहीं तथा इस देयता को प्रतिनिधि बैंक द्वारा उनकी अंतर बैंक आस्तियों में से समायोजित किया जाए। इसी प्रकार ड्राफ्ट/ब्याज/लाभांश वारंट जारी करने वाले बैंकों द्वारा प्रस्तुत राशियों को उनकी बही में 'बैंकिंग प्रणाली में आस्तियों' के रूप में माना जाए तथा उन्हें अपनी अंतर बैंक देयताओं से घटाया जाए। |
| सितम्बर | 11 | • सेबी के साथ अमानतदार सहभागी के रूप में पंजीकृत बैंकों को विस्तारण पटलों पर +अपने ग्राहकों को न्यासी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी गई। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2003** | | |
| सितम्बर | 13 | • भारतीय सनद लेखाकार संस्थान से परामर्श पर, बैंकों को वादग्रस्त लेखों के कानूनी खर्चे के लेखाकरण के लिए 31 मार्च 2004 से प्रभावी निम्नलिखित सिद्धान्त लागू करने का निदेश दिया गया।<br>(क) वादग्रस्तलेखाओं के सम्बन्ध में हुए विधिव्यय को भारग्रहण के समय लाभ व हानि लेखा में नामे डालना चाहिए। उधारकर्ताओं से ऐसे खर्च की वसूली की निगरानी के प्रयोजन से बैंक ज्ञापन नियन्त्रण लेखा का निर्वाह करें।<br>(ख) उधारकर्ताओं से विधिक व्यय की वसूली के समय, वसूल की गई राशि का उल्लेख जिस वर्ष में वसूली हुई, उसके लाभ व हानि लेखा में हो। |
| | 15 | • बैंकों को निदेश था कि 15 सितम्बर 2003 को भारत में कारोबार की समप्ति से प्रभावी एक से तीन वर्षों की नई प्रत्यावर्तनीय अनिवासी (बाह्य) जमाराशियों पर ब्याज दरें अगली सूचना तक समरूपी परिपक्वता के अमरीकी डालर से लिबोर/स्वैप दरों से ऊपर (17 जुलाई 2003 के घोषित 250 आधार बिन्दु की जगह) 100 आधार बिन्दु ऊपर नहीं जाना चाहिए। |
| | 16 | • सरकरा से परामर्श करके यह निर्णय हुआ कि भारत स्थित समुद्रपारिय निर्गामत निकायों को मान्यता वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबन्धन विनियमों के तहत उपलब्ध योजनाओं / विभिन्न मार्गों के तहत "निवेशक संवर्ग" में पात्र के रूप में समाप्त की जाए। |
| | 26 | • मछुआरें, रिक्शा स्वामी, स्व-निजोजित व्यक्ति के लिए एक नई ऋण सुविधा पर ऋण, अर्थात बैंकिग प्रणाली से लचीला, बाधा रहित एवं लागत प्रभावकारी तरीके से कार्यशील पूंजी/अथवा ब्लॉक पूँजी अथवा दोनों प्रदान करें। |
| अक्तूबर | 10 | • यह निर्णय लिया गया कि कोई बैंक अपने अपतटीय बैंकिंग इकाइयों से (ओबीयु) से उधार नहीं लेगी और घरेलू (देशी) टेरिफ क्षेत्र (डीटीए) में अपतटीय बैंकिंग इकाइ के ऋण जोखिम घरेलु टेरिफ क्षेत्र में किसी कंपनी की राशि तक प्रतिबंधित होगी, किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) योजना के अंतर्गत फेमा विनियमों के अधीन उधार ले सकते है। ऐसे समग्र ऋण जोखिमों किसी भी समय पर पिछले कार्य दिन के कारोबारी समाप्ति पर उसके कुल देयता का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। |
| | 15 | • बैंकों को यह निदेश दिया गया कि केवल उन विशेख प्रयोजन साधनों (एसपीवी) को निवेश कंपनियों के रूप में नही समक्षा जाये और अलः भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विनिदेशनों के लिए बैंक वित्तपोखण हेतु पात्र होने के लिए मर्यादित उद्देश्य हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में नहीं समझा जाये। बशर्ते कि अन्य दिशानिदेशों का अनुपालन किया गया हो और निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया गया हो, जैसे,<br>क) वह धारित कंपनियों, विशेष प्रयोजन साधनों आदि के रूप में कार्य करता है जिनके अपने कुल आस्तियों के 90 प्रतिशत तक निवेश के रूप में स्वामित्व साक्षेदार पाने हेतु शेयरों में धारित है।<br>ख) वे इन शेयरों में खंड बिक्री के लिए कारोबार नहीं करते।<br>ग) वे कोई अन्य वित्तीय गतिविधियाँ नहीं चलते, और<br>घ) वे सार्वजनिक जमाराशियाँ धारित/स्वीकार नहीं करते। |
| | 18 | • विशेष आर्थिक क्षेत्रों (इएसझेड) में परिचालनगत प्राधिकृत व्यापारियों को भारत सरकार के दिशा निदेशों के अनुपालन में बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) निम्नलिखित शर्तों के अधीन जुराने की अनुमात दी गई है।<br>क) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयाँ अपने एव आवश्यकता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटा सकते है।<br>ख) किसी उधारीकृत निधियों का अंतरण या उधार अपने सहयोगी संस्था या घरेलू टेरिफ क्षेत्र (डीटीए) में स्थित किसी अन्य इकाइ को नहीं दे सकते है।<br>• और सूचना मिलने तक यह निर्णय लिया गया था कि एक से तीन वर्षो के लिए नये प्रत्यावर्तनीय अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरह) जमाराशियों पर 18 अक्तूबर 2003 को भारत में कारोबार समाप्ति से संकुचित ब्याज दरें तदनुरुपी परिपक्वता की अमरीकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से 25 आधार बिंदुओं से (17 जुलाई 2003 को घोषित 250 आधार बिंदुओ और 15 सितम्बर 2003 को 100 आधार बिंदुओं के मुकाबले) अधिक नहीं होने चाहिए। ब्याज दरों परिवर्तन प्रत्यावर्तनीय अनिवासी विदेशी जमाराशियों के लिए भी लागू होंगें जो उनके वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत है। |
| | 21 | • बैंकों को मूल ब्याज दर के संदर्भ और ऋण आकार का परवाह किये बिना अग्रिमों पर ब्याज दरों को तय करने की अनुमति दी गई थी। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| | | **ख) शहरी सहकारी बैंक** |
| **2002** | | |
| अप्रैल | 1 | • शहरी सहकारी बैंक को निदेश दिया गया कि तुलनपत्र की तारीख के बाद शेयर पूंजी में वृद्धि अथवा कमी की गणना निदेशक मंडल के अनुमोदन से छमाही अंतराल पर निवेश की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए की जाए। |
| जून | 7 | • कुछ ब्रोकरों/दलाली प्रतिष्ठानों की मदद से कुछ सहकारी बैंकों द्वारा भौतिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक (प्राथमिक व्यापारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/यूसीबी/एससीबी) के सार्वजनिक ऋण कार्यालय में सभी एसजीएल धारकों/स्टॉक प्रमाणपत्र धारकों को अनिवार्य रूप से अपना निवेश सरकारी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियों में करना चाहिए तथा संबंधित संस्था के अनुसार यह निवेश एसजीएल (रिज़र्व बैंक के पास) अथवा घटक एसजीएल (एससीबी/ राज्य सहकारी बैंक /प्राथमिक व्यापारी/वित्तीय संस्था/ क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक के मामले में प्रायोजक बैंक में) तथा भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. अथवा डिपॉजिटरियों, नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल)/ सेंट्रल (सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (सीएसडीएल) में अभौतिकीकृत खाता में करें। दूसरा, केवल एक सीएसजीएल अथवा अभौतिकीकृत खाता किसी ऐसे प्रतिष्ठान में खोला जा सकता है। तीसरा, यदि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक में सीएसजीएल खाता खोला जाता है, तो खाताधारक को उसी बैंक में निर्दिष्ट निधि हर एक (सभी सीएसजीएल संबंधी लेनदेन के लिए) को खोलना होगा। अंत में, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से किसी ब्रोकर के साथ सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन भौतिक रूप में नहीं करना चाहिए। |
| अगस्त | 26 | • मासिक शेष के आधार पर ब्याज लगाने के संबंध में निम्नलिखित समेकित अनुदेश प्रभावी हैं :<br>क) बैंकों के पास यह विकल्प है कि वे मासिक अंतराल के आधार पर 1 अप्रैल 2002 अथवा 1 जुलाई 2002 अथवा 1 अप्रैल 2003 से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें।<br>ख) 1 जुलाई 2002 से शुरू होनेवाली तिमाही से बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल मासिक अन्तराल पर प्रभारित करने/चक्रवृद्धि ब्याज लेने की व्यवस्था अपनाने के कारण प्रभावी दर नहीं बढ़नी चाहिए तथा उधारकर्ताओं पर बोझ नहीं बढ़ना चाहिए।<br>ग) मासिक अन्तरालों पर ब्याज सभी विद्यमान खाता पर लगाया जा सकता है (यथा नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात बैंकिंग क्रेडिट खाता आदि) मासिक अंतराल आधार पर विकल्प को अपनाने के समय बैंक दस्तावेजीकरण के प्रयोजन से उधारकर्ताओं से सहमति पत्र /पूरक समझौता प्राप्त कर सकते है।<br>घ) मासिक अंतराल पर ब्याज सभी नए तथा वर्तमान ऋणों और दीर्घावधिक मीयाद के अन्य ऋणों पर लगाया जाए।<br>ड) यह परंतुक ऋण समझौते में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा 'बशर्ते कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुरूप उधारकर्ताओं द्वारा देय ब्याज लगाया जाएगा। |
| दिसंबर | 4 | • यह निर्णय लिया गया कि निदेशकों, उनके संबंधियों तथा उनके हितवाले प्रतिष्ठानों को ऋणों और अग्रिमों की समग्र अधिकतम सीमा मीयादी और मांग देयताओं के पूर्ववर्ती 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत तक लाया जाए। जिन बेंकों के ऐसे बकाया ऋण 30 सितंबर 2002 अथवा उसके बाद उनकी मीयादी और मांग देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक थे, उन्हें निदेश दिया गया कि वे अपने निदेशकों, उनके संबंधियों तथा उनके हितवाले प्रतिष्ठानों को नए ऋण/वर्तमान सुविधाओं के नवीकरण को मंजूरी न दें ताकि ऐसे ऋण बकाया को कम किया जा सके तथा उन्हें यथाशीघ्र, परंतु 31 मार्च 2003 तक 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर लाया जा सके। |
| **2003** | | |
| मार्च | 13 | • प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास खुले अपने एसजीएल खातों अथवा उसके घटक अनुसूचित वाणिज्य बैंक जैसी निर्दिष्ट संस्थाओं में खुले अपने एसजीएल खातों के माध्यम से लेनदेन की विद्यमान पद्धति के अतिरिक्त एनएसई, बीएसई तथा ओटीसीईआइ की स्वचालित आदेश प्रेरित प्रणाली पर डीमैट रूप में भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का लेनदेन कर सकते हैं। |
| अप्रैल | 29 | • सभी शहरी सहकारी बेंकों को सूचित किया गया कि वे तत्काल प्रभाव से अधिदेशांक समवर्ती लेखा परीक्षा प्रारंभ करें। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2003** | | |
| मई | 14 | • शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ड्रिप सिंचाई/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली तथा कृषि मशीनरी के व्यापारियों को दी गयी रु. 20 लाख तक प्रति व्यापारी के अग्रिमों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये उधार के एक भाग के रूप में 'कृषि को अप्रत्यक्ष ऋण' में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के एक भाग के रूप में बैंक ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों को भी रु. 10 लाख तक के प्रत्यक्ष आवास ऋण देने के लिए स्वतंत्र हैं। |
| | 17 | • गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अपनी जमाराशियां सक्षम अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। कुछ अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने वाले केवल सक्षम अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक को ही अन्य गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक की जमाराशियां रखने की अनुमति दी गयी थी। |
| | 22 | • वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति में की गयी घोषणा के अनुसार रु. 1 लाख तक के स्वर्ण ऋण तथा अल्प ऋण दोनों को गैर-निष्पादक ऋण के रूप में पहचानने के 90 दिनों के मानदण्ड से मुक्त रखा गया था। अतः इन ऋणों को 31 मार्च 2004 के बाद भी गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 180 दिनों का मानदण्ड लागू किया जायेगा। |
| जून | 13 | • प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के अंतर्गत यथोचित सूचना प्रणाली बनाने के उद्देश्य से सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि 31 मार्च 2003 से छमाही विवरण (31 मार्च/30 सितम्बर को समाप्त छमाही के लिए) प्रस्तुत करना प्रारंभ करें जिसमें बैंक स्थित उनके क्षेत्राधिकार में आनेवाले शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अल्पसंख्याक समुदायों को ऋण संवितरण करने संबंधी प्रगति दर्शायी जाए। उक्त यथानिर्दिष्ट छमाही विवरण संबंधित अवधि समाप्ति से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएं। ऐसी पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2003 को समाप्त छमाही के लिए होगी। |
| जुलाई | 08 | • ऐसे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जो एनडीएस -सीसीआईएल प्रणाली के सदस्य नहीं हैं, उन्हें निदेश दिया गया था कि वे सरकारी प्रतिभूतियों के अपने लेनदेन, एनडीएस सदस्य के पास रखे गिल्ट खाता डिमैट खाते के माध्यम से करें। |
| सितम्बर | 05 | • परोक्ष चौकसी विवरणियों के अंतर्गत शहरी सहकरी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले अपेक्षित विवरणों की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी गई। आठ विवरणियों में से एक विवरणी की आवधिकता वार्षिक है और शेष सात विवरणियों त्रैमासिक अंतराल पर प्रस्तुत करनी होंगी। |
| | 19 | • यह निर्णय लिया गया था कि जो शहरी सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रेड II, III या IV के रूप में वर्गीकृत नहीं किये गये हैं, वे लाभांश की घोषणा कर सकते हैं, बशर्ते कि लाभांश भुगतान से बैंक की चलनिधि प्रभावित न हो। ग्रेड II के रूप में वर्गीकृत बैंकों को लाभांश घोषित करने के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से पूर्वानुमति लेनी होगी। उनके आवेदनों पर विचार कतिपय मानदंडों का उनके व्दारा किये जानेवाले अनुपालन पर निर्भर होगा।<br>• बैंक प्रत्येक रु. 500 से कम की 'देय' समाशोधन अंतर दर्शानेवाली प्रविष्टि के सामने 'प्राप्य' समाशोधन अंतर दर्शानेवाली सभी प्रविष्टियों को समायोजित कर सकते हैं जो समाशोधन खाते में 31 मार्च 2003 को तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है अर्थात समाशोधन खाते (देय के सामने प्राप्य) में प्रत्येक रु. 500 से कम की वे सभी बकाया प्रविष्टियों जो 31 मार्च 2000 को या उससे पहले उत्पन्न हुई थी और 31 मार्च 2003 को बकाया थीं। |
| अक्तूबर | 18 | • और सूचना मिलने तक यह निर्णय लिया गया था कि एक से तीन वर्षों के लिए नये प्रत्यावर्तनीय अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरह) जमाराशियों पर 18 अक्तूबर 2003 को भारत में कारोबार समाप्ति से संकुचित ब्याज दरें तदनुरुपी परिपक्वता की अमरीकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से 25 आधार बिंदुओं से (17 जुलाई 2003 को घोषित 250 आधार बिंदुओ और 15 सितम्बर 2003 को 100 आधार बिंदुओं के मुकाबले) अधिक नहीं होने चाहिए। ब्याज दरों परिवर्तन प्रत्यावर्तनीय अनिवासी विदेशी जमाराशियों के लिए भी लागू होंगें जो उनके वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत है। |
| **(ग) वित्तीय संस्थान** | | |
| **2002** | | |
| अप्रैल | 29 | • वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे 30 जून 2002 से जमाप्रमाणपत्रों के निर्गम केवल डिमैट रूप में करें तथा धारित जमाप्रमाण पत्रों को अक्तूबर 2002 तक डिमैट रूप में परिवर्तित कर लें। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2002** | | |
| मई | 14 | • हाजिर वायदा संविदाओं (रिवर्स हाजिर वायदा संविदाओं सहित) के सहभागियों में शामिल होने के लिए शर्तों को संशोधित किया गया था और रिज़र्व बैंक के साथ सहभागियों के एसजीएल खाते के अलावा भारतीय समाशोधन निगम लिमि. के भी (रिज़र्व बैंक के पास) के पास एसजीएल खाते के माध्यम से निपटान की अनुमति दी गयी। |
| जून | 4 | • अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2002 को रु. 1 करोड़ और उससे अधिक की बकाया वाले उधार खातों के विरुद्ध दायर मुकदमें की सूची प्रस्तुत करें तथा इसे दिसंबर 2002 तक त्रैमासिक रूप में अद्यतन करें और मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर 2002 के अंत तक रु. 25 लाख और उससे अधिक की उधार राशि के इरादतन चूक करनेवाले खातों के विरुद्ध दायर मुकदमें की 31 मार्च 2003 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए एक सूची रिज़र्व बैंक तथा सीआइबीआइएल को प्रस्तुत करें। उसके बाद उक्त जानकारी केवल सीआरबीआइएल को ही प्रस्तुत की जाए। |
| | 7 | • कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के आस्ति वर्गीकरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में परियोजना करे 'वित्तीय वचनबद्धता' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है; विकासशील (ग्रीन फील्ड) परियोजनाओं के लिए वित्तीय वचनबद्धता को परियोजना के लिए निधि प्रदान करने अथवा उसके संग्रहण के लिए इक्विटी धारकों और ऋण वित्तपोषक संस्थाओं की कानूनी रूप से बाध्यकारी वचनबद्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त निधीयन राशि परियोजना लागत का उल्लेखनीय अंश अर्थात उक्त सुविधा के निर्माण कार्य क पूरा होने तक की कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। |
| | 20 | • जमा प्रमाणपत्रों के लिए निवेशक आधार बढ़ाने के उद्देश्य से जमाप्रमाणपत्रों की न्यूनतम और उसके गुणजों की अपेक्षाओं के विद्यमान 10 लाख रु. और 5 लाख रु. के वर्तमान स्तरों को घटाकर केवल 1 लाख्य रु. तक कर दिया गया । यह राशि जमाप्रमाणपत्रों के अंकित मूल्य (परिपक्वता मूल्य) से संबंधित है। |
| जुलाई | 18 | • अखिल भारतीय मीयादी ऋण दात्री और पुनर्वित्तपोषक संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने संबंधी जारी अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन शीघ्रतिशीघ्र परंतु 31 जुलाई 2002 तक सुनिश्चित करें। |
| | 22 | • कुछ वित्तीय संस्थाओं से निवेश के वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण के संबंध में प्राप्त कतिपय सुझावों और प्रश्नों के अनुसरण में संयुक्त उद्यम, अधिमान शेयरों की व्यवस्था और उनके मूल्य निर्धारण की परिभाषा के संबंध में आय कर अधिनियम, अग्रिम के रूप में शेयर के मूल्य निर्धारण, आदि में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किये गये। |
| अगस्त | 8 | • वित्तीय संस्था के जोखिम भारित आस्ति के पूरी पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना में बैंक की गारंटी पर वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण के लिए लागू जोखिम भार ओर जोखिम सीमा संबंधी मानदंडों के उदेश्य के लिए ऋण व्यवस्था के बारे में वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये गये।<br>क) बैंक की गारंटी पर वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण पर वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये उधार की सीआरएआर की गणना में 20 प्रतिशत का जोखिम भार होगा। ऋण के केवल ऐसे भाग के लिए 20 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा जो बैंक की गारंटी द्वारा रक्षित है और ऋण की शेष राशि, यदि कोई हो, के लिए सामान्यतः शत-प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।<br>ख) तथापि, जोखिम सीमा संबंधी मानदंडों के प्रयोजन के लिए समग्र ऋण लेनदेन को उधार लेनेवाली संस्था के लिए जोखिम माना जाना चाहिए और ऋण की गारंटी देनेवाले बैंक के लिए जोखिम नहीं माना जाना चाहिए ताकि ऋण संकेन्द्रण की मात्रा सही रूप में परिलक्षित हो सके। यदि निधियन सुविधा मीयादी ऋण के रूप में होगी जो जोखिम सीमा के स्तर की गणना रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। |
| | 31 | • वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय संव्यहारों के अनुरूप बनाने के लिए उदार बनाने तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया गया था कि:<br>क) वित्तीय संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को रिहायशी आवास संपत्ति को बंधक रख कर दिये गये आवास ऋण पर 50 प्रतिशत का जोखिम भार (वर्तमान के 100 प्रतिशत के जोखिम भार की तुलना में) होगा, और<br>ख) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये गये निवेश पर 50 प्रतिशत की जोखिम भार होगा (यह बाजार जोखिम के लिए 2.5 प्रतिशत के जोखिम भार के अतिरिक्त होगा), बशर्ते बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निहित आस्तियां आवास वित्त कंपनियों की रिहायशी ऋण आस्तियां हों जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त और पर्यवेक्षित हों और यह कि बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियां परिपत्र में यथा उल्लिखित कतिपय शर्तों को पूरा करती हों। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2002** | | |
| सितम्बर | 2 | • 'समेकित पर्यवेक्षण को सुविधा जनक बनाने के लिए समंकित लेखांकन और अन्य प्रमात्रात्मक पद्धतियों के संबंध में कार्यकारी दल' की रिपोर्ट के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं की राय जानने के लिए समेकित लेखांकन और समेकित पर्यवेक्षण के लिए मार्गदर्शी नियमों का प्रारूप जारी किया गया था जिसका उद्देश्य था वित्तीय संस्थाओं के लिए समेकित पर्यवेक्षण लागू करना। प्रस्तावित समेकित पर्यवेक्षी संरचना में निम्नलिखित तीन घटकों की परिकल्पना की गयी है; (क) समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस), (ख) समेकित विवेकपूर्ण विवरणियां (सीपीआर) और (ग) पूँजी-पर्याप्तता, भारी निवेश जोखिम और समूह-वार आधार पर चलनीधि अंतराल जैसे विवेकपूर्ण विनियमों को लागू करना। |
| | 14 | • ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनपर कार्य चल रहा है और जो श्रेणी II में आती हैं उनके लिए आस्ति वर्गीकरण के मानदण्डों के अंतर्गत आस्तियों के वर्गीकरण का निर्णय इस उद्देश्य के लिए गठित स्वतंत्र दल द्वारा ऐसी परियोजनाओं को निर्धारित कार्य पूरा करने की अनुमानित तारीख के अनुसार लिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसे खातों के संबंध में, जो कार्य पूरा करने की अनुमानित तारीख के अनुसार 'मानक' श्रेणी में उन्नयन किये जाने के लिए पात्र हो सकते हैं, किये गये प्रावधानों को प्रतिवर्तित (रिवर्स) न करें। |
| **2003** | | |
| जनवरी | 20 | • वित्तीय संस्थाओं को यह निदेश दिया है कि वे 1 अप्रैल 2003 से वैयक्तिक / समूह उधारकर्ता की जोखिम सीमा निर्धारित करने के लिए डिरेवेटिव्ज में अन्तर्निहित ऋण जोखिम सीमा की गणना करने की दो पद्धतियों अर्थात मूल जोखिम सीमा पद्धति और वर्तमान जोखिम पद्धति को अपनायें। वित्तीय संस्थाओं को वर्तमान जोखिम सीमा पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। यदि कोई वित्तीय संस्था वर्तमान जोखिम सीमा पद्धति अपनाने की स्थिति में नहीं हैं तो उसे मूल जोखिम सीमा पद्धति अपनाने की अनुमति दी गई है। |
| मई | 30 | • पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों के समझौता पूर्वक निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। भारत सरकार के परामर्श से संशोधित एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2003 से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2003 और बैंकों द्वारा इन आवेदनों पर कार्रवाई की तिथि 31 अक्तूबर, 2003 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2003 कर दी गयी है। |
| जून | 20 | • मासिक समवर्ती लेखा परीक्षा रिपेर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की प्रथा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गयी है। 31 मार्च 2003 को समाप्त छः माही से खज़ाना लेनदेनों की समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट में पायी गयी प्रमुख अनियमितताओं को निवेश संविभाग के अर्धवार्षिकी समीक्षा में (शामिल) करना चाहिए और उसे रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण - (डीबीस) विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करना चाहिए। |
| जुलाई | 1 | • भास दिनांकित प्रतिभूतियों का राष्ट्रीय शेयर बाज़ार, शेयर बाज़ार, मुम्बई तथा ओटीसीइआइ के स्वचालित प्रणाली के जरिए व्यापार कर सकते हैं। ऐसे व्यापार को नियमित करने हेतु विसं को भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी व शेयर बाज़ारों द्वारा अधिक सुविधाएँ दी गई। |
| | 17 | • वित्तीय संस्थाओं को यह निदेश दिया गया कि वे गैर निष्पादक आस्तियों के बढ़ने को रोकने के संदर्भ में रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी दिशा निदेशों को अपने निदेशक मंडल के सामने रखें ताकि मार्गदर्शी दिशा निदेशों की भावना को ध्यान में रखते हुए दिशा निदेशों में सुझाये गये उपायों को यथा आवश्यक लागू किया जा सके। |
| | 29 | • इरादतन चूकों की घटनाओं को पहचानने तथा उनकी रिपोर्ट करने में किये जानेवाले उपायों के बारे में वित्तीय संस्थाओं को संशोधित दिशा निदेश जारी किये गये। बैंकों को यह निदेश दिया गया कि उन उधारकर्ताओं की, जिन्होंने यह अभिवेदन दिया है कि उन्हें 'इरादतन चूक कर्ताओं' के रुप में गलती से वर्गीकृत किया गया है, सुनवाई करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण किया जाये। |
| अगस्त | 1 | • विसं के समेकित लेखांकन तथा समेकित पर्यवेक्षण पर अन्तिम मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी। |
| | 6 | • वाणिज्यिक पत्र बाजार (सीपी) में निर्गम कर्ता तथा निवेशक दोनों को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से कंपनियों समेत गैर बैंकिंग संस्थानों को कतिपय शर्तों के अधीन वाणिज्यिक पत्रों को जारी करने हेतु ऋण वृद्धि के लिए शर्तरहित तथा अपिकल्पी गारंटियाँ देने की अनुमति दी गई है। |
| | | **(घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ** |
| **2002** | | |
| अप्रैल | 22 | • भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की कि मांग / कॉल मांग ऋण देनेवाली / देने की इच्छुक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदन से एक नीति निर्धारित करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित पहलुओं का समावेश होना चाहिए :<br>क) अधिकतम अवधि का निर्धारण जिसके भीतर ऋण चुकाने की मांग की जायेगी। यदि अधिकतम अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो मंजूरी कर्ता प्राधिकारी को इसके लिए विशेष कारण दर्ज करना होगा। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2002** | | |
| | | ख) ब्याज दर और ब्याज अदायगी के लिए आवधिक अंतर का निर्धारण त्रैमासिक / मासिक अंतराल पर होना चाहिए। जहाँ कोई ब्याज न लिया गया हो या ऋण स्थगन की स्वीकृति दी गयी हो वहाँ मंजूरी दाता प्राधिकारी को चाहिए कि वह इसके विशेष कारणों को दर्ज करे।<br>ग) ऋण के निष्पादन की समीक्षा के लिए अधिकतम अवधि का निर्धारण ऋण स्वीकृति की तारीख से छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।<br>ख) ऐसे ऋणों का नवीकरण समीक्षा के आधार पर होना चाहिए इस समीक्षा में ऋण मंजूर करने की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन भी शामिल किया गया हो। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी ऋण जो मांग / कॉल की तारीख से छह महीने से अधिक समय तक चुकाये नहीं जाते हैं या ऐसे ऋण जिनका ब्याज देय तिथि से छह महीने की अवधि के लिए अप्रदत्त बना रहता है, गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जायेंगे। ऋणों के लिए अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं पर लागू प्रावधान अपेक्षाएं ऐसे ऋणों पर भी लागू होंगी।<br>• भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों की पहचान के लिए निर्धारित 30 दिन की 'गत देय' अवधि 31 मार्च 2003 से समाप्त कर दी जायेगी। इस प्रकार, एक ऋण आस्ति तब गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में बदल जायेगी जब उसकी किश्त या ब्याज छह महीने से अधिक समय के लिए अतिदेय हो जाएगी। |
| जून | 06 | • गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी विवेक सम्मत मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 को संशोधित किया गया। प्राथमिक संशोधन (i) ज्ञात देयट की अवधारणा को समाप्त करना (ii) गैर-निष्पादक आस्तियों की परिभाषा, (iii) पूँजी - पर्याप्तता आदि बनाये रखना से संबंधित है। |
| अक्तूबर | 1 | • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने निवेश अनिवार्यतः अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एस एच सी आइ एल के पास ग्राहक के सहायक सामान्य खाते में या निक्षेपागारों में जैसे नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपाज़िटरीज़ लि. / सेन्ट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. में सेबी में पंजीकृत निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में करने चाहिए। अतएव भौतिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को रखने की सुविधा समाप्त कर दी गयी है। सरकारी गारंटी वाले बांडों को जब तक डीमैट रूप में नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें भौतिक रूप में रखा जा सकता है। किसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा केवल एक ही सी एस जी एल खाता या डीमैट खाता खोला जा सकता है। आगे से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के सभी लेनदेन अनिवार्यतः सी एस जी एल / डीमैट खाते के माध्यम से किये जाएंगे। भौतिक रूप से रखी गई सभी सरकारी प्रतिभूतियों को 31 अक्तूबर 2002 को या उससे पूर्व डीमैट रूप में करा लिया जाना चाहिए। पूर्वलिखित किसी भी संस्था में डीमैट एस जी एल खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक नहीं है, परंतु ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय इस खाते का विवरण देना आवश्यक है।<br>• जमाकर्ता संरक्षण उपाय के रूप में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे अपने विज्ञापनों अथवा विज्ञापनों के स्थान पर प्रकाशित किये जानेवाले विवरणों में इस तथ्य को शामिल करें कि उनके द्वारा संग्रहीत जमाराशियां बीमाकृत नहीं हैं।<br>• पूंजी बाजार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पूंजी निवेश से संबंधित सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि रु.50 करोड़ और उससे अधिक की जनता की जमाराशियां धारित करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और 31 मार्च 2002 या उसके पश्चात् रु.50 करोड़ और उससे अधिक की जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताओं वाली अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के पूंजी बाजार में उनके निवेश संबंध में सूचना और आंकड़े मंगाए जाएं । तदनुसार उपर्युक्त मानदंड के अंतर्गत आनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया गया कि वे संबंधित तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर सूचना प्रस्तुत करें और इस प्रकार की प्रथम विवरणी 31 दिसंबर 2002 की स्थिति के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। सरकारी कंपनी सहित प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जिसके पास जनता की जमाराशियां नहीं हैं / स्वीकार नहीं करती है को यह निदेश दिया गया था कि यदि उनके पंजीकृत कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन होता है और उसके निदेशक / प्रधान अधिकारी / प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता / लेखा - परीक्षक बदलते हैं तो वे इस घटना से 30 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक को इसकी सूचना दें। |
| **2003** | | |
| मार्च | 03 | • समस्त वित्तीय प्रणाली में विद्यमान ब्याज दरों को दृष्टि में रखते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जनता की जमाराशियों पर देय ब्याज की अधिकतम दर 4 मार्च 2003 से संशोधित कर दी गयीं। यह स्पष्ट किया गया था कि यह वह अधिकतम दर है जो कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अपने द्वारा धारित जनता की जमाराशियों पर ब्याज अदा कर सकती है और वे इससे कम दर पर ब्याज प्रस्तावित कर सकती है। ब्याज की नई दर जनता की नई जमाराशियों पर और परिपक्वता पर नवीकृत होने वाली जनता की जमाराशियों पर लागू है। |
| जुलाई | 31 | • गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक ढांचे में संशोधन किया गया ताकि उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदा करने की अनुमति दी जा सके। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2003** | | |
| अगस्त | 01 | • बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू विशेषकर बुनियादी संरचना परियोजनाओं के संबंध में लागू विवेक-सम्मत मानदण्डों के समरूप मानदण्ड बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित विषयक मानदण्डों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेक-सम्मत मानदण्डों को संशोधित किया जाये : 1) गैर-निष्पादक आस्तियों की अवधि; 2) बुनियादी संरचना संबंधी ऋण; 3) पुनर्संरचना या अवधि का पुनर्निधारण या पुनः बेचान; 4) पुनः संरचित मानक और अवमानक खातों के सम्बंध में नीति 5) निधिक ब्याज; 6) आय निर्धारण मादण्ड; 7) प्रावधानीकरण; 8) पुनः गठित अवमानक बुनियादी ऋणों के उन्नयन हेतु पात्रता; 9) ऋण का इक्विटी या डिबेंचरों में परिवर्तन; और 10) बुनियादी संरचना संबंधी ऋणों को छोड़कर अन्य ऋणों से संबंधित पुनर्गठन एवं अन्य मानदण्डों की प्रयोज्यता। |
| | 28 | • वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो कि एक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी है, रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (45 - Iए), (45-Iबी) और (45-Iसी) के प्रावधानों से मुक्त है। धारा 45-I ए पंजीकरण की अपेक्षाओं और निवल स्वाधिकृत निधियों को परिभाषित करती है। धारा 45 - I बी में ऋणी रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में आस्तियों का प्रतिशत बनाये रखने के बारे में बताया गया है और धारा 45-I सी में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रारक्षित निधियों के बारे में जानकारी दी गयी है। |
| अक्तूबर | 28 | • एनबीएफसी, एमएनबीसी तथा आरएनबीसी द्वारा जमाराशियों पर देय ब्याज दर नई प्रत्यावर्तनीय एनआरइ जमाराशियों पर समरूपी परिपक्वता के अमरीकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों के ऊपर 25 आधार बिन्दु रखी गई। |
| | | **प्राथमिक व्यापारी** |
| **2002** | | |
| मई | 08 | • प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया था कि वे अपनी मांग मुद्रा उधार देने / लेने की स्थितियों की समीक्षा करें और अपनी समग्र जोखिम प्रबंध नीति के एक अंग के रूप में अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के अनुसार विवेकसम्मत सीमाओं का निर्धारण करें।<br>• प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया था कि वर्ष 2001-02 के लिए बोली लगाने, हामीदारी करने और चलनिधि समर्थन की योजना देने के लिए प्रावधान वर्ष 2002-03 के लिए भी लागू बने रहेंगे, सिवाय इसके कि दिनांकित प्रतिभूतियों के मामले में 40 प्रतिशत के सफलता अनुपात की गणना वास्तविक बोली पर आधारित होगी, न कि बोली लगाने की वचनबद्धता पर। |
| | 17 | • खज़ाना बिलों की नीलामी में यदि कोई प्राधिकृत व्यापारी अपेक्षित न्यूनतम बोली नहीं लगाता है या अपनी वचनबद्धता से कम की बोली लगाता है तो उसके लिए चलनिधिमें समर्थन में कमी करने की दण्ड अवधि विद्यमान 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दी गयी है। |
| | 20 | • प्राधिकृत व्यापारियों को निदेश दिया गया था किः (1) वे तत्काल प्रभाव से किसी भी दलाल इकाई के साथ भौतिक रूप में किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं करेंगे और (ii) वे अनिवार्यतः सरकारी प्रतिभूतियों में अपने सभी निवेश एस जी एल (रिज़र्व बैंक में) या सी एस जी एल (बैंक / प्राधिकृत व्यापारी / वित्तीय संस्था के पास) या निक्षेपागारों के यहां रखे गए डी मेट खाते में रखेंगे। |
| | 31 | • 31 मार्च 2002 से अनुषंगी व्यापारी योजना समाप्त कर दी गयी। |
| जून | 05 | • एक श्रेणी के रूप में प्राधिकृत व्यापारियों को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के दायरे में लाया गया। |
| | 10 | • प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे इस बात की पुष्टि करें कि उनके निवेश संविभागों में रखी गई सभी ऋण प्रतिभूतियां और सरकारी प्रतिभूतियां अमूर्त रूप में हैं। यह निर्दिष्ट किया गया कि भविष्य में सरकारी प्रतिभूतियों में किये जाने वाले सभी लेनदेन अनिवार्यतः एस जी एल / सी एस जी एल / डीमैट खातों के माध्यम से किये जाएंगे। प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने के लिए उनके द्वारा अनुमोदित दलाल विशेष रूप से एन एस ई / ओटीसीईआई / बीएसई में पंजीकृत हों। . |
| जुलाई | 26 | • प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे अपने लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम दैनिक समाचार पत्रों और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। |
| | 31 | • प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया था 5 अक्तूबर 2002 से वे अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के केवल 25 प्रतिशत तक ही मांग / सूचना मुद्रा बाजार में उधार दे सकते हैं। यह भी सूचित किया गया था कि मांग / सूचना मुद्रा बाजार में उधार लेने की पहुंच अपनी उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों (पिछले वित्त वर्ष के मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार) के 200 प्रतिशत तक I (प्रथम) चरण में और कतिपय विशिष्ट शर्तें पूरी करने पर चरण II में उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत तक होगी। |

## अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(समाप्त)*

| घोषणा की तिथि | | उपाय |
|---|---|---|
| **2002** | | |
| अक्तूबर | 10 | • यह स्पष्ट किया गया था कि प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा मांग / सूचना मुद्रा बाजार में उधार देने की उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों की 25 प्रतिशत की सीमा सूचित पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि दैनिक आधार पर। |
| **2003** | | |
| जनवरी | 16 | • सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री एनएसइ, बीएसइ तथा ओटीसीइएल में प्रारम्भ शेयर बाज़ारों के जरिए हुआ। |
| | 20 | • संपार्श्विक उधार लेने तथा उधार देने की बाध्यता सीसीआइएल के जरिए मुद्रा बाज़ार के रूप में परिचालित हुई। |
| फरवरी | 21 | • गिल्ट खाता धारकों की श्रेणियों की श्रेणियों के चयनार्थ तैयार वायदा (रिपो) संविदा की पात्रता विस्तारण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए जिसमें डीवीपी व पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे। मार्गदर्शी सिद्धान्त 3 मार्च 2003 से प्रभावी हुए। |
| मार्च | 24 | • प्राधिकृत व्यापारियों को अपने परिचालनों के निधीयन हेतु एफ सी एन आर (बी) ऋणों का लाभ उठाने की अनुमति दी गयी थी, बशर्ते कि ऐसे ऋणों के विदेशी मुद्रा जोखिम को उनके निवेश के 50 प्रतिशत की सीमा तक हर समय के लिए सुरक्षित कवर दिया गया हो। |
| अप्रैल | 03 | • सीसीआइएल को सरकारी प्रतिभूतियाँ उधार देने की योजना को परिचालित करने को परिचालन गत दिशा-निदेश दिए गए। सीसीआइएल को लेन-देन के निपटान में प्रतिभूतियों में कमी की हैण्डलिंग के प्रयोजन से अपने किसी सदस्य के साथ सरकारी प्रतिभूतियाँ उधार लेने के लिए व्यवस्था की अनुमति मिली। |
| | 10 | • प्राथमिक व्यापारियों को संविभाग प्रबन्ध सेवा के परिचालनगत दिशा-निदेश जारी हुए प्राथमिक व्यापारी, रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन तथा सेबी पंजीकरण सहित पीएमएस सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति थे। |
| जून | 03 | • प्राथमिक व्यापारियों को ब्याज दर जोखिमों के प्रति अपने निवेश का प्रबंध करने की दृष्टि से इस बात की अनुमति दी गई थी कि वे चरणबद्ध रूप में ब्याज व्युत्पन्नियों में लेनदेन कर सकते हैं। प्रथम चरण में, ऐसी संस्थाओं को उनके पूर्वता प्राप्त निवेश संविभाग में जोखिम सीमित प्रयोजन हेतु सुरक्षा कवर करने के लिए केवल नोशनल बांडों और खजाना बिलों पर ब्याज दर फ्यूचरों में लेनदेन करने की अनुमति दी गयी थी। उत्पादों के व्यापक दायरे में लेनदेनों की अनुमति देने के साथ-साथ बाजार तैयार करना अगले चरण में प्राप्त अनुभवों के आधार पर तय किया जायेगा। |
| | 11 | • प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर, प्राथमिक व्यापारियों को ब्याज दर फ्यूचरों में ट्रेडिंग पोजीशन लेने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि वह कतिपय विवेक सम्मत विनियमों यथा, ट्रेडिंग फोर्टफोलियों बनाना, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की ब्याज दर संवेदनशीलता और ट्रेडिंग पोजीशन के लिए लेखांकन के मानदण्डों का पालन करें। |